अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम
वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील अप्रार्थीगण :– श्री भंवरलाल गुर्जर

आदेश

दिनांक : 16.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 3002/892 रकबा 0.2752 वाके ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के सहखातेदार रामचन्द्र, रामरतन, बद्रीलाल की मृत्यु हो गई है जिनके वारिवासन को प्रार्थीगण बनाया गया है। प्रार्थीगण के हितों में कोई विरोधाभास नहीं है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज चल आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि के बाद श्री गोपालजी भगवान का मंदिर व बोर के बालाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। श्री गोपालजी भगवान के मंदिर की सेवापूजा अप्रार्थी रामप्रसाद व मनमोहन जी करते है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का प्रार्थीगण की भूमि के कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आए दिन प्रार्थीगण की भूमि पर मंदिर की आड में अतिक्रमण करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि की सीमओं को मिटाते है। तथा भूमि की मेडों को नष्ट करते है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि की सीमा का सीमाज्ञान करवाने व अपनी सीमा पर तारबाडा करवाने का प्रयास किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि हम सीमाज्ञान को नहीं मानते है। हम सीमाज्ञान नहीं करने देंगे। हमारी मौजूदगी में तुम्हारी भूमि की पत्थरगढी करवाने के उपरांत ही हम तारफैंसिंग करने देगे। उक्त धमकी अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.12.2023 को देने से प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि से अब प्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है साथ ही मौके पर भूमि की सीमा के बाबत कोई मुस्तकिल निशान नहीं होने से आए दिन अप्रार्थीगण विवाद करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के समक्ष अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ग्राम दबलाना के निवासी है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से किसी प्रकार कोई झगडा व विवाद नहीं चाहते हैं। क्योंकि प्रार्थीगण की भूमि के समीप अप्रार्थीगण की खातेदारी व स्वामित्व की कोई भूमियां नहीं है केवल अप्रार्थीगण केवल मंदिर की सेवा पूजा करते है। प्रार्थीगण को मंदिर के बाबत किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है और न ही मंदिर परिसर के बाबत कोई अनुतोष चाहते है लेकिन अप्रार्थीगण 1 व 2 मंदिर के पुजारी होने मात्र से प्रार्थीगण की भूमि की सीमा में हस्तक्षेप कर रहे है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की व्यक्तिगत हैसियत से इनको प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है एवं नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में पत्थरगढी की जानी है। इस कारण प्रार्थीगण के नायब तहसीलदार दबलाना को पक्षकार बनाया है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपनी भूमि कि अप्रार्थीगण की मौजूदगी में पत्थरगढी करवाकर अपनी भूमि की सीमा पर पत्थरगढी तारफैंसिंग

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

करवावे। प्रार्थीगण की भूमि ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि श्रीमान का प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की उपस्थिति में प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 3002/892 रकबा 0.2752 वाके ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया है कि भूमि खसरा संख्या 3002/892 में प्रार्थीगण का वर्तमान व विगत समय से कभी कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूमि खाल, नाला दर्डा, नाकाबिल काश्त भूमि है, भूमि के कुद हिस्से में श्री गोपाल जी भगवान व बोर के बालाजी का रास्ता निकला हुआ है, जो काफी प्राचीन है। अप्रार्थीगण व पूरे गावं के लोग मंदिर में भूमि खसरा संख्या 5002/92 में बने हुए प्राचीन रास्ते से होकर आते जाते है। भूमि सडक के सहारे होने से प्रार्थीगण के द्वारा अपने कब्जे की भूमि से अन्यत्र उक्त भूमि आंवटित व तरमीम करवा ली है। प्रार्थीगण उक्त भूमि में न तो कभी सीमाज्ञान करवाने आये एवं न ही तारबाडा करने आए इस प्रकार वाद उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। साथ ही खसरा संख्या 3002/892 के पडोसी खातेदारान को पक्षकार नही बनाने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

हमने वकील पक्षकरान को सुना। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के सहखातेदारी की भूमियॉ है। विवादित भूमियों के स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार होने से आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया की प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमियों पर कब्जा काश्त नहीं है। विवादित भूमि मौके पर बरडे व खाल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

के रूप में स्थित है, जिस पर बडे–बडे पोधे उगे हुए है। विवादित पर प्रारम्भ से ही कब्जा नहीं होने के कारण से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन कियां, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम दबलाना पटवार मण्डल दबलाना तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 437 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, दबलाना को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 437 के खसरा सं0 3002/892 रकबा 0.2752 है0 वाके ग्राम दबलाना पटवार मण्डल दबलाना तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की सहखांतेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरींर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446